राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1336/2024

शैतान सिंह चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक कृषि विस्तार, शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.03.2024
आदेश की दिनांक : 04.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय मनोहरपुर, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्यालय सिहालीखुर्द, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि उक्त स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की अवहेलना करते हुए एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। उनका तर्क है कि जिला परिवर्तन करने में आलोच्य आदेश पारित किए जाने से पूर्व पंचायती राज विभाग की सहमति नहीं ली गई है, इस कारण से आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधानों के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि स्थानान्तरण आदेश पारित

होने के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा मंत्रीमण्डल में संशोधन हेतु विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2024 जारी है, जिसके द्वारा पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार कृषि मंत्री को दिया है। उससे पूर्व पंचायत राज का समस्त विभाग पंचायती राज मंत्री के पास ही था। जब आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किया गया था उस समय पंचायती राज विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गयी बाद में मंत्रीमण्डल में संशोधन के पश्चात कृषि विभाग के ही मंत्री, जिनके पास पंचायती राज से जुडे कृषि विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्वतंत्र प्रभार, जो बाद में दिया गया है, उन से स्वीकृति प्राप्त की गई है, जो उचित नहीं है।

अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी के संबंध में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किए जाने का आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधानों के विरूद्ध है, क्योंकि पंचायती राज विभाग की सहमति प्राप्त किए बिना पारित किया गया है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No(s).1699-1723 of 2015 September 22, 2022 Bharat Sanchar Nigam Ltd. And others etc. v/s M/s Tata Communications ltd. etc का अवलम्ब लिया है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> *"The power to make retrospective legislations enables the Legislature to obliterate an amending Act completely and restore the law as it existed before the amending Act, but at the same time, administrative/executive orders or circulars, as the case may be, in the absence of any legislative competence cannot be made applicable with retrospective effect. Only law could be made retrospectively if it was expressly provided by the Legislature in the Statute. Keeping in mind the afore-stated principles of law on the subject, we are of the view that applicability of the circular dated 12th June, 2012 to be effective retrospectively from 1 st April 2009, in revising the infrastructure charges, is not legally sustainable and to this extent, we are in agreement with the view expressed by the Tribunal under the impugned judgment "*

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि कार्योत्तर स्वीकृति आदेश के आधार पर भी नियम विरूद्ध पारित पूर्व के आदेश को सही होना नहीं माना जा सकता है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि वर्तमान में कृषि विभाग

के मंत्री को आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा राजस्थान सरकार ने पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा है। इस प्रकार कृषि मंत्री ही पंचायतीराज विभाग में पदस्थापित कृषि विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण करने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। इसके अलावा जो स्थानांतरण दिनांक 15.03.2024 से पूर्व कृषि विभाग द्वारा किए गए है उनके लिए भी कार्योत्तर अनुमोदन आदेश दिनांक 16.03.2024 के द्वारा कृषि व पंचायती राज (कृषि) मंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है। ऐसे में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना की जा चुकी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत Civil Appeal No(s).1699-1723 of 2015 September 22, 2022 Bharat Sanchar Nigam Ltd. And others etc. v/s M/s Tata Communications ltd. etc की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें यह माना गया है कि कोई भी प्रशासनिक आदेश / परिपत्र को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में किसी प्रशासनिक आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है, केवल मात्र कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी है, जिसे नवीन प्रशासनिक आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है।

हमारे द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश डी बी स्पेशल अपील रिट संख्या 683 / 2021 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम मूल शंकर आदेश दिनांक 14.01.2022 का अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप), नियम, 2011 के नियम–8(iii) की अवहेलना किए जाने की आपत्ति के संबंध में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> *"In this context, we do not find any limitation or inhibition under the Rules by virtue of which the ex-post facto consent of the Panchayati Raj department can not be obtained. The consent of the Panchayati Raj department is of course needed before effecting inter-district transfer as we have already concluded. However, there is nothing in the Rules to suggest that the same is a sine qua non and if the consent is obtained post facto, the order of transfer cannot be validated. We notice that in the judgment dated 11.10.2018 passed by the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan and others Vs. Samleta (D.B. Spl. Appl. Writ No. 736/2018), the*

> *Court had confirmed the judgment of the learned Single Judge setting aside orders of transfers under similar circumstances where the consent of the Panchayati Raj department was not obtained. In that case, the counsel for the employees-original petitioners had argued that the ex-post facto sanction granted by the Panchayati Raj department would not save the order of transfer. The Division Bench while confirming the view of the learned Single Judge had not given any declaration on this question. The judgment on this point is thus sub silentio and in our view does not lay down any ratio of a binding nature on this question. Under the circumstances, we reiterate that the Rules of 2011 do not prohibit ex-post facto sanction being granted by the Panchayati Raj department and if such ex-post facto sanction is obtained hereafter, it would be open for the Government to regularize all orders of inter district transfers."*

इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कार्योत्तर स्वीकृति बाद में दिए जाने को गलत नहीं माना है तथा यह भी माना है कि 2011 के नियमों में कार्योत्तर स्वीकृति लिये जाने की कोई पाबन्दी नहीं है। हमनें अपीलार्थी द्वारा उठाये गये इस तर्क पर भी विचार किया कि क्या कार्योत्तर स्वीकृति जो दिनांक 16.03.2024 को दी गयी है, वह कृषि व पंचायती राज (कृषि) मंत्री से प्राप्त किया जाना उचित था या नहीं। हमारे मत में कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 16.03.2024 को प्राप्त की गयी है और उसके पूर्व दिनांक 15.03.2024 को मंत्री मण्डल राजस्थान सरकार, सचिवालय द्वारा मंत्रियों को विभागों के कार्यभार संशोधन का आदेश पारित किया गया है, जिसमें कृषि मंत्री को ही पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। ऐसे में जब से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी है, उसी दिन से कृषि मंत्री के पास पंचायतीराज के अधीनस्थ कृषि कर्मचारियों का स्वतंत्र प्रभार मौजूद था। ऐसे में यह माना जा सकता है कि पंचायती राज विभाग से ही कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी है। अतः उपरोक्त विवेचना की रोशनी में हम यह पाते है कि अपीलार्थी का जो स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है उसमें नियम–8(iii), राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप), नियम, 2011 की अवहेलना नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य